



## दक्षिण भारत में हिन्दी का विकास

जगदीशन ए.के.<sup>1</sup> एवं श्याम किशोर वर्मा<sup>2</sup>

<sup>1</sup> संयुक्त निदेशक (राजभाषा), भा.कृ.अनु.प.

केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान,

मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

<sup>2</sup> सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी,

भा.कृ.अनु.प.- भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान

इन्दौर, मध्यप्रदेश, भारत

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे विश्व में सर्वमान्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने में जनभाषा का सर्वाधिक महत्व है। जनभाषा, जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करने की वाणी है, जिसमें पारस्परिक संबंध जोड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। भारत में विभिन्न राज्यों में ऐसी अलग-अलग भाषाओं के होने के बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी भाषा का स्थान हिंदी को प्राप्त है। भारत के बहुभाषाभाषी परिवेश में भावात्मक एकता को दृढ़ करने के लिए राष्ट्र की जनता में आत्मीय भावना, त्याग, निष्ठा एवं सद्भावना का होना बहुत ही आवश्यक है। इसी सिलसिले में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत की जनता आत्मीयता, त्याग, निष्ठा एवं सद्भावना से हिंदी के साथ जुड़ी है। "दक्षिण भारत" की संज्ञा भारत के दक्षिणी भू-भाग को दी जाती है। केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिल नाडु राज्य तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी सहित भारत के दक्षिणी भू-भाग को "दक्षिण भारत" की संज्ञा दी गई है। केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड, आंध्र में तेलुगु तथा तमिल नाडु और पांडिचेरी में तमिल

अधिक प्रचलित भाषाएँ हैं। ये चारों द्रविड़ परिवार की भाषाएँ हैं। अपने-अपने प्रदेश-विशेष की भाषा के प्रति लगाव के बावजूद अन्य प्रदेशों की भाषाओं के प्रति यहाँ की जनता में आत्मीयता की भावना है। इसलिए दक्षिण भारत भाषाई सद्भावना के लिए उर्वर भूमि है। यहाँ की जनता ने हिंदी के प्रति त्याग एवं समर्पण का परिचय दिया है, जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

धार्मिक, व्यापारिक और राजनीतिक कारणों से उत्तर भारत के लोगों का दक्षिण में आने-जाने की परंपरा प्रारंभ होने के साथ ही दक्षिण के धार्मिक, व्यापारिक केंद्रों में हिंदी प्रचलित हुई थी। दक्षिणी भू-भाग पर मुसलमान शासकों के आगमन और इस प्रदेश पर उनके शासन के दौर में एक भाषा विशेष के रूप में 'दक्खिनी' का प्रचलन चौदहवीं से अठारहवीं सदी के बीच हुआ जिसे 'दक्खिनी हिंदी' की संज्ञा भी दी जाती है। मुसलमान शासकों के दौर में बीजापुर, गोलकोंडा, गुलबर्गा, बीदर आदि प्रदेशों में दक्खिनी का अधिकाधिक विकास हुआ था। शताब्दियों पूर्व ही दक्षिण में हिंदी भाषा के प्रचलन के संबंध में एक



और उदाहरण केरल से मिलता है। "स्वाति तिरुनाल" के नाम से सुविख्यात तिरुवितांकूर राजवंश के राजा रामवर्मा (1813-1846) न केवल हिंदी में निष्णात् थे बल्कि स्वयं उन्होंने हिंदी में कई पद रचे थे। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं भावात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता, भाषाई सद्भावना की परंपरा दक्षिण भारत में सदियों से पनप रही है। 14 वीं शताब्दी से ही किसी न किसी रूप में हिंदी का दक्षिण में प्रचलन रहा, जिसका इस प्रांत ने आत्मीयता से आत्मसात् किया था।

राष्ट्रीय एकता और हिन्दी: दक्षिण भारत के संदर्भ में

राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने महसूस किया था कि पूरे भारतवासियों में एकता की भावना के पनपने तथा एकजुट होकर लड़ने से ही स्वाधीनता की संकल्पना साकार हो पाएगी। बहुभाषाई भारत में भावात्मक एकता स्थापित करने के लिए एक सामान्य संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस होने पर हिंदी अनायास ही चुनी गई थी। इसका कारण यह था कि भारत के अधिकांश भू-भाग पर किसी न किसी प्रकार से हिंदी बोली और समझी जाती है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में संलग्न राजा राममोहनराय, आचार्य केशवचंद्रसेन, महर्षि दयानंद सरस्वती आदि समाज-सुधारकों ने हिंदी के महत्व को स्थापित करते हुए उसे भारतीय भावनाओं की वाणी बनाने की कल्पना की थी। स्वाधीनता आंदोलन के प्रत्येक नेता ने "राष्ट्रीय एकता की वाणी" के रूप में हिंदी का पक्ष-समर्थन किया था।

दक्षिण भारत में हिन्दी की अविरल धारा का प्रवाह गाँधीजी की संकल्प-निष्ठा और कई

समर्पित हिन्दी प्रचारकों की कर्तव्यनिष्ठा से हुई थी। दक्षिण भारत की हिन्दी पत्रकारिता ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार को गति देने के माध्यम से जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाकर स्वाधीनता संग्राम के लिए अपेक्षित भावभूमि पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दक्षिण भारत में अनेक हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई हैं और आज भी प्रकाशित हो रही हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भवना के साथ हिन्दी का प्रचार-प्रसार भी हुआ है।

अपनी समृद्ध मातृभाषाओं की मौजूदगी के बावजूद दक्षिण भारतवासियों में हिंदी के प्रति अनन्य प्रेम देखा जा सकता है। हिंदी प्रदेश के राज्यों में आज प्राथमिक स्तर से ही स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई हो रही है, जबकि भारतीय भाषा-परिवेश में विशेष उल्लेखनीय स्थान रखने वाले त्रिभाषा-सूत्र के साथ हिंदी प्रदेशों में बिलकुल ही रुचि नहीं है। आज सिर्फ दक्षिण भारत वासी अपनी मातृभाषा के अलावा हिंदी भी सीखने के लिए तत्पर हैं। तमिलनाडु को छोड़ कर बाकी तीनों राज्यों में स्कूलों में दसवीं कक्षा तक हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही है। आजकल तमिल भाषियों में अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाने की तत्परता दिखाई देती है। जिन स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, वहीं अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं जहाँ हिन्दी सिखाई जा रही है। यहाँ एक और बात उल्लेखनीय है कि हिन्दी के प्रति हुई राजनीति के कारण तमिलनाडु में जो लोग हिन्दी सीख नहीं पाए थे, उनमें हिन्दी सीखने के प्रति रुचि देखी जा सकती है। सरकारी कर्मचारियों की बात लें तो सरकारी स्तर पर हिन्दी से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वे लोग बड़ी तत्परता से भाग ले रहे हैं।



दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा

दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी। आजादी के बहुत पहले सन 1918 में महात्मा गाँधी ने देश के विशाल हित को ध्यान में रखकर उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों के बीच एकता का लक्ष्य रखा। इसलिए उन्होंने मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की, क्योंकि हिन्दी भारत के बहुतायत लोगों द्वारा बोली या समझी जाने वाली भाषा थी। लगभग 10 वर्षों तक इलाहाबाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार के लिए काम किया। महात्मा गाँधी का विचार था कि दक्षिण भारत के लोग खुद हिन्दी का प्रचार करें। इसलिए सन 1918 में उन्होंने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। सन 1936 में मद्रास सभा को विभाजित कर संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं को प्रशासन का कार्यभार सौंप दिया गया। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के विकास में कई महत् व्यक्तियों का अमूल्य योगदान रहा है। आज गाँवों एवं शहरों में हिन्दी के विकास के लिए कई प्रचारक कार्य कर रहे हैं। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा हिन्दी में कई परीक्षाएँ आयोजित की जा रही हैं जो प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की हैं। पूरे दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का योगदान अमूल्य है।

केरल में हिन्दी का विकास

पुराने समय में उत्तर भारत से कई तीर्थ यात्री केरल के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते थे। तिरुवितांकूर सरकार इनके लिए आवास की व्यवस्था प्रदान करती थी। केरल के लोगों से

विचार-विनियम के लिए इनकी सहायता करने हेतु अनुवादकों की नियुक्ति भी की गई थी। इन अनुवादकों को हिन्दी और मलयालम जानने की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से कई लोग जो अनुवादक बनना चाहते थे, हिन्दी सीखने लगे। इसके साथ में जो हिन्दी के प्रति आकर्षित थे, उन्होंने भी हिन्दी सीखना शुरू कर दिया। तिरुवितांकूर के राजा शिक्षा के प्रति बहुत ही रुचि रखते थे विशेषकर 'स्वातितिरुनाल' रामवर्मा। वे कई भाषाओं में पारंगत थे तथा उन्होंने ब्रजभाषा में पदों की रचनाएँ की थी जो उत्कृष्ट हैं।

पुराने समय में केरल की फौज में मराठा एवं राजपूत रेजिमेन्ट शामिल थे। वे हिन्दी-हिन्दुस्तानी जानते थे। मैसूर एवं कोचीन के राजाओं के बीच एक अनुबंध हुआ था कि कोचीन राजवंश के सदस्य उर्दू सीखेंगे जिसके लिए सन 1930 में उर्दू मौलवियों को नियुक्त किया गया। सन 1931 में इनके स्थान पर हिन्दी अनुदेशक को नियुक्त किया गया।

कोषिकोड, कण्णूर, कोची एवं कोल्लम के बन्दरगाहों के आसपास उत्तर भारत के कई व्यापारी लोग रहते थे, जो मारवाड़ी, गुजराती एवं अरबी बोलते थे। लेकिन ये सभी हिन्दुस्तानी भी जानते थे। इनसे बातें करने के लिए उधर के लोगों को हिन्दी सीखनी थी। इस तरह ऐतिहासिक, धार्मिक एवं वाणिज्यिक कारणों से केरल में हिन्दी का अध्ययन प्रारंभ होने लगा।

सन 1922 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने केरल में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए श्री के.एम. दामोदरन उणिण को नियुक्त किया। उन्होंने उत्तर भारत में रह कर संस्कृत एवं हिन्दी सीखी। हिन्दी के अध्यापन के लिए उन्होंने केरल में कई जगहों में भ्रमण किया। उन केन्द्रों



में उन्होंने वहाँ के अच्छे विद्यार्थी को अन्य लोगों को हिन्दी सिखाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार प्रत्येक केन्द्र आत्मनिर्भर हो गया और हिन्दी के विकास में अपना योगदान दिया। इसलिए के.एम. दामोदरन उणिण केरल के प्रथम 'हिन्दी प्रचारक' के रूप में जाने जाते हैं।

सन 1925 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने केरल में हिन्दी की शिक्षा प्रदान करने के लिए कई 'प्रचारकों' को भेजा। इनमें श्री केशवन नायर एवं स्वामी शंकरानन्द आदि नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। उन्होंने कई नए केन्द्र खोले और वहाँ से कई छात्रों को मद्रास के दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा में भेजा और वे कुछ साल तक वहाँ पढ़ने के बाद केरलवासियों में हिन्दी के प्रचार के लिए वापस आए। आजादी की लड़ाई के साथ हिन्दी के प्रचार को और गति मिली।

सन 1932 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास ने एरणाकुलम में एक स्थानीय केन्द्र प्रारंभ कर दिया। श्री एम. चन्द्रहासन को 'संघमंत्री' के रूप में नियुक्त किया गया। उनके कठिन प्रयासों के परिणामस्वरूप एक अन्य शाखा तिरुवितांकूर में खोली गई। श्री देवदत्त विद्यार्थी को इस शाखा 'संघमंत्री' नियुक्त किया गया। उन्होंने त्रिवेन्द्रम और मलाबार क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार प्रारंभ किया। 1932-36 के दौरान कई हिन्दी संस्थान खुले तथा श्री एन. वासुभाइयान, श्री पी.के. नारायणन नायर, श्री सी.जी. गोपालकृष्णन, श्रीमती कुट्टिमालु अम्मा, श्री पी. गोविन्दन नायर, श्री के. केलप्पन जैसे कई प्रमुख व्यक्तियों ने हिन्दी प्रचार सभा से संपर्क स्थापित किया। हिन्दी प्रचार सभा का इन महत् व्यक्तियों के साथ गहरे संबंध के कारण हिन्दी का महत्व और अधिक बढ़ने लगा तथा आम जनता के बीच में इस भाषा को सीखने रूची बढ़ी।

सन 1935 में तिरुवितांकूर विधान सभा ने स्कूलों में हिन्दी को अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाने का संकल्प पारित किया। सन 1936 तक मलाबार क्षेत्र के कई स्कूलों में हिन्दी सिखाना प्रारंभ कर दिया। कोची एवं तिरुवितांकूर में दो हिन्दी कन्या विद्यालय खोले गए। प्रचार सभा ने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सन 1950 से तिरुवितांकूर-कोची राज्यों ने स्कूलों में हिन्दी को एक अनिवार्य विषय बनाया। सन 1936 केरल के कॉलेजों में हिन्दी का अध्यापन शुरू हुआ। हिन्दी अनुदेशकों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से सन 1947 में हिन्दी महाविद्यालयों की स्थापना की गई। ऐसे संस्थानों में कई छात्र विभिन्न परीक्षाएँ उत्तीर्ण होने में सफल रहे और वे हिन्दी के प्रचार में जुड़े।

सन 1934 में श्री के. वासुदेवन पिल्लई ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के परीक्षाओं के संचालन के लिए तिरुवनंतपुरम में केरल हिन्दी प्रचार सभा प्रारंभ की। यह 1948 तक चला। इसके बाद यह केरल में हिन्दी प्रचार के लिए स्वतंत्र संगठन के रूप में उभर आई। इस प्रकार विभिन्न संगठनों और स्कूल, कॉलेजों से प्राप्त हिन्दी ज्ञान के कारण समाज के कई लोग हिन्दी पढ़ना और लिखना जानने लगे। डॉ. एन. चन्द्रशेखरन नायर ने हिन्दी भाषा और राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास के लिए केरल हिन्दी साहित्य अकादमी की स्थापना की।

सन 1980 में तिरुवनंतपुरम में केरल हिन्दी साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी जिसने हिन्दी के प्रचार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। कुछ साल बाद यह संस्था केरल हिन्दी साहित्य अकादमी के रूप में परिवर्तित हुई। यह अकादमी हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार भी प्रदान करता है। इस प्रकार केरल में



हिन्दी का प्रचार-प्रसार बहुत पहले से ही प्रारंभ हुआ था जिसके लिए कई संस्था और संगठनों तथा कई कर्तव्य निष्ठ हिन्दी प्रचारकों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है।

तमिलनाडु में हिंदी का विकास

तमिलनाडु में सन 1937 को श्री सी. राजगोपालाचारी के नेतृत्ववाली सरकार ने हिन्दी को स्कूल में अनिवार्य विषय बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सी. राजगोपालाचारी, सी. अण्णादुरै जैसे नेताओं ने हिन्दी को संपर्क सूत्र माना था, भले ही वे लोग आजादी के बाद हिन्दी विरोधी आंदोलन में अगुवा बन गए। महात्मा गाँधी ने 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की थी। तमिलनाडु के बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक रांगेय राघव ने हिन्दी की लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाकर हिन्दी साहित्य को संपन्न बनाया। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से हिन्दी में पी.एच.डी. प्राप्त करने वाले प्रथम दक्षिण भारतीय रांगेय राघव ही थे। तमिलनाडु में ऐसे कई विद्वान और विदुषियाँ हैं जिन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए बहुमूल्य योगदान दिया है, उनमें से कुछ नाम हैं - शंकर राजू नायडू, सुमतींद्रन, पी. जयरामन, एस. सुब्रह्मणियम, एम. लोकनाथन, यू. रवि, एम.एस. जयराम, आर. शौरीराजन, आर. विल्लिनाथन, उमाचंद्रन, श्रीनिवासन, एन. गणेशन, मलिक मोहम्मद, एन.पी. राजगोपालन, अहमद हुसैन, एन. सुन्दरम, वी.आर. जगन्नाथन, रहमत्तुल्ला, तुलसी जयरामन, एस. विजया, एस. नागलक्ष्मी, एम. बसंता, के.ए. जमुना आदि।

अविभाजित आंध्रप्रदेश में हिंदी का विकास

आंध्रप्रदेश में स्वाधीनता संग्राम के एक हिस्से के रूप में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भी तेजी आई। सन 1935 में हैदराबाद में स्थापित आंध्र हिन्दी प्रचार सभा से लेकर 1997 में विशाखापट्टनम में स्थापित 'विशाखा हिन्दी परिषद' जैसी अनेक संस्थाओं ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। हैदराबाद से कल्पना, अजंता, अध्येय, पूर्णकुंभ जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। कविवर लाजपति पिंगल राजेश्वर राव, कर्णवीर, वैरागी चौधरी, सी. बालकृष्ण राव, राममूर्ति रेणु, वेंकट सुब्बाराव, ए. पांडुरंग राव, सी. सूर्यनारायणमूर्ति, पी. आदेश्वर राव, सूर्यनारायण भानु, आर. सूर्यनारायण, बालशौरी रेड्डी, रमेश चौधरी आरिगपूडि, इब्राहिम शरीफ, दंडमूडि महीधर, हेमलता आंजनेयुलु, सी. रामशेषय्या, जी. सुन्दर रेड्डी, एस.टी. नरसिंहाचारी, भीमसेन निर्मल, कर्णराज शेषगिरी राव, सी. नारायणमूर्ति, एस.एम. इकबाल, विजय राघव रेड्डी, के. लीलावती, आई.एन. चन्द्रशेखर रेड्डी आदि साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया है। लोकप्रिय बाल पत्रिका 'चन्दामामा' का संपादन प्रारंभ में कवि अल्लूरि बैरागी चौधरी तथा बाद में कथाकार बालशौरी रेड्डी ने 23 वर्षों तक किया। हैदराबाद हिन्दी प्रचार सभा तथा हिन्दी अकादमी के अध्यक्ष रहे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोपाल राव एकबोटे ने सन 1980 में हिन्दी के विभिन्न पक्षों की चर्चा करते हुए 'ए नेशन विदाउट ए नेशनल लैंग्वेज शीर्षक से अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी जिसका खांडेराव कुलकर्णी द्वारा 'राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र' के नाम से अनुवाद किया और 1987 में प्रकाशित हुआ। हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं में पारंगत कई विद्वान लेखकों ने अपनी प्रेरणास्वरूप



रचनाओं के माध्यम से आंध्रप्रदेश में हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास किया और हिन्दी के प्रचार-प्रसार में बहुत ही सराहनीय योगदान दिया।

कर्नाटक में हिंदी का विकास

कर्नाटक में सन 1920 के पश्चात् हिन्दी पूरी तरह फैल गई। प्रारंभ में इंदिरा देवी, हिरणमय, वेंकटेश, आर.एन. मोहन, एम.बी. भुजंगाचार, प्राणेशाचार्य, की तथा बाद में राधाकृष्ण मुदलियार, पंचाक्षरी हिरेमठ, के. हनुमंतराव, एन.एस. दक्षिणामूर्ति, सरगु कृष्णमूर्ति, चंद्रकांत कुसनूरकर, कक्कनवर, मद्यमित्र, टी.जी. प्रभाशंकर प्रेमी, लक्ष्मीनारायण, अप्पासाहब सिनदी, केशव मलगांवकर, भारती रमणाचार्य, एम.वी. जम्बुनाथन, आर.सी. भूसनूरमठ, जी.जे. हरिजीत, तिप्पेस्वामी, ना. नागप्पा, सरोजिनी महिषि, वी. वेंकटेश, राजेश्वरैय्या, सिद्धलिंग पट्टणशेट्टी, टी.आर. भट्ट आदि साहित्यकारों ने हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया। 'श्रीकृष्ण गांधी चरित' और 'आंजनेय' सरगु कृष्णमूर्ति के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। साहित्य अकादमी के वर्तमान सचिव, कवि व कथाकार ए. कृष्णमूर्ति का हिन्दी में योगदान उल्लेखनीय है। कर्नाटक में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद और कई अन्य स्वयं सेवी संगठनों का भी योगदान अमूल्य रहा है।

आज भी दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कई स्वयंसेवी संगठन बहुमूल्य योगदान देते रहते हैं। दक्षिण भारत में हिन्दी आजकल कोई अन्य भाषा नहीं है। कई लोग हिन्दी समझते हैं और बोलते भी हैं। टेलिविजन, इंटरनेट और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार-प्रसार हो रहा है। पुराने समय के जैसी विरोधी भावना आज नहीं है। सभी

लोग हिन्दी सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। वैश्वीकरण के इस युग में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ी है कि अभिभावक सोचते हैं, हिन्दी की वजह से हमारे बच्चे पीछे न रह जाएँ। उनमें इसलिए हिन्दी सीखने में रुचि दिखाई देने लगी है कि अपने बच्चों को हिन्दी पढ़ा सके या उनकी गलती सुधार सके। एक अन्य बात यह है कि शिक्षा, व्यापार और नौकरी के कारण उत्तर भारत के कई लोग लगातार दक्षिण भारत में आवागमन होता रहता है। यहाँ के लोगों से संपर्क करने के लिए वे लोग क्षेत्रीय भाषा के कई शब्द तो सीखते हैं, पर उतनी खुल कर बातें नहीं कर पाते। इसलिए बीच-बीच में वे हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या पूरी बात हिन्दी में कहते हैं जिसे समझने में दक्षिण भारतीयों को कोई कठिनाई नहीं होती। इन सब बातों से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में आने वाले समय में हिन्दी की प्रचार-प्रसार रूपी धारा तीव्र गति से बहती रहेगी।